भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2047
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

विकलांगता पेंशन मानदंड

2047. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्व में संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में 40% विकलांगता होने पर पेंशन प्रदान की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त पेशन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पेंशन योजना में 40% के मानक/मापदंड को बढ़ाकर 80% करने का उद्देश्य क्या है;

(घ) 40% विकलांगता मानदंड से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उक्त योजना पर प्रतिमाह कुल कितनी निधि व्यय की जाती है; और

(ङ) 80% विकलांगता मानदंड के कार्यान्वयन के पश्चात लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उक्त योजना पर प्रतिमाह कुल कितनी निधि व्यय की जाती है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना औपचारिक रूप से फरवरी 2009 में दिव्यांगता स्तर के रूप में 80% के मानदंड के साथ शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वर्ष 2009 में शुरू की गई आईजीएनडीपीएस में सार्वभौमिक कवरेज नहीं है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों में से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सर्वाधिक असुरक्षित श्रेणी आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपलब्ध निधियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, यदि पात्र लाभार्थी अधिक हैं तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास अपने संसाधनों से उन्हें पेंशन देने का विकल्प है।

(घ) और (ङ): एनएसएपी के अंतर्गत, योजना/राज्य-वार लाभार्थियों की अधिकतम सीमा है। वर्तमान में, देश भर में आईजीएनडीपीएस के तहत कुल 8.8 लाख लाभार्थी शामिल किए जाते हैं। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को डिजिटल लाभार्थियों की संख्या अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिकतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक निधियां मंजूर की जाती हैं।

*****